



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249145
CG-DL-E-04102023-249145

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945

No. 562]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 715(अ).— वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5, धारा 10 की उप-धारा 2 और धारा 10क, 10ख और 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और धारा 14 के प्रावधान के तहत यथापेक्षित जन हित में, पूर्व में प्रकाशन शर्तों का अनुपालन करते हुए, केंद्रीय सरकार, ड्रोन नियम, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

- (1) इन नियमों को ड्रोन (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2 ड्रोन नियम, 2021 से अनुबंधित फॉर्म डी-4 में, व्यक्ति के विवरण से संबंधित भाग-क के तहत, क्रम संख्या 5 के सामने प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः -

"5. भारतीय पासपोर्ट संख्या या सरकार द्वारा जारी पहचान का प्रमाणपत्र और सरकार द्वारा जारी पते का प्रमाण यथा मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस"।

[फा. सं. एवी-29017/37/2021-एसडीआईटी-एमओसीए]

पीयूष श्रीवास्तव, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

नोट: प्रधान नियम, दिनांक 25 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 589(अ), के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 2023

G.S.R. 715(E).— In exercise of the powers conferred by section 5, sub-section 2 of section 10 and sections 10A, 10B and 12A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), and after dispensing with the condition of previous publication in the public interest as required under the proviso to section 14 thereof, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Drone Rules, 2021, namely:—

- (1) These rules may be called the Drone (Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Form D-4 annexed to the Drone Rules, 2021, under Part A relating to details of individual, for the entry against Serial number 5, the following entries shall be substituted, namely :-

“5. Indian Passport Number or government issued proof of identity and government issued proof of address i.e., a Voter’s ID card, Ration Card or Driving License”.

[F. No. AV-29017/37/2021-SDIT-MOCA]

PIYUSH SRIVASTAVA, Senior Economic Adviser

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 589(E), dated the 25th August, 2021.